नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हूक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 330 सन 2018

अनवान :–

1. अमीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
2. पृथ्वीराज पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र नेतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी वार्ड न0 6 नोहर तहसील नोहर।
2. विधादेवी पुत्री नेतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी वार्ड न0 6 नोहर तहसील नोहर
3. प्रमेश्वरी पुत्री नेतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी वार्ड न0 6 नोहर तहसील नोहर
4. दयादेवी पुत्री नेतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी वार्ड न0. 6 नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

5. ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
6. लाधुराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
7. हरिराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
8. प्रमेश्वरी पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
9. बिमला पुत्री मालाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
10. शंकरलाल पुत्र धनारमा जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
11. कृष्णलाल पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
12. लालचन्द पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन खूईया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री इवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा खूईया के खसरा न0 573/1 की 1.1890हैक , 587 की 1.7710, 587/1 की 0.2020 ,786/704 की 0.7720हैक कुल 3.9340हैक भूमि में चावली पत्नी नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 2.7450हैक के खातेदार काश्तकार है चावली पत्नी नेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है

चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये बेयनामा दिनांक 25.11.1995 को हीरादेवी पत्नी मालाराम को 6.07 बीधा , यानी 1.607हैक भूमि खरीद की थी जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के कब्जा काश्त में है। हीरादेवी पत्नि मालाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है

इसी प्रकार चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से जरिये बेयनामा दिनांक 25.11.1995 को वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ने 4.10 बीधा यानि 1.138हैक भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

इसप्रकार चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 4 से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने एवं उनके पुवर्जो के द्वारा खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बेयनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के नाम से दर्ज

11–कृष्णलाल पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

होने के कारण खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 अपने बैयनामा के अनुसार भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरानत भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यावाही की गई तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि बेयनामा के अनुसार हीरादेवी पत्नि मालाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसके सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा खूईया के खसरा न0 573/1 की 1.1890हैक, 587 की 1.7710, 587/1 की 0.2020 ,786/704 की 0.7720हैक कुल 3.9340हैक भूमि में चावली पत्नी नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 2.7450हैक के खातेदार काश्तकार दर्ज है चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने जीवनकाल में जरिये बेयनामा दिनांक 25.11.1995 को हीरादेवी पत्नी मालाराम को 6.07 बीधा , यानी 1.607हैक भूमि खरीद की थी जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के कब्जा काश्त में है। हीरादेवी पत्नि मालाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है इसी प्रकार चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.1995 को वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी सख्या 10 ता 12 ने 4.10 बीधा यानि 1.138हैक भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है। अर्थात वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के पूर्वजों के द्वारा खरीदशुद्वा भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खूइया के खसरा न0 573/1 की 1.1890, 587 की 1.7710 ,587/1 की 0.2020 ,786/704 की 0.7720 कुल 3.9340हैक भूमि में वादी न0 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 बहिब 1.607हैक भूमि एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब 1.138हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है चावली पत्नि नेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.14 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

11–कृष्णलाल पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)